

न्यायालय, समाहर्ता, सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

51/2013-18

29/07/2017

आदेश पत्रक-ता0

से

जिला-खगड़िया

सा0

सन्

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित

1.

02.

3.

01.07.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3185/सी0आर0 दिनांक 19.06.2017 द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-151/2017 दिनांक 07.03.2017 धारा-30(ए0) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये देशी शराब-30 (तीस) लीटर देशी महुआ शराब थाना के मालखाना में सुरक्षित रखा गया है। देशी महुआ शराब कुल-30 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन-03 संलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि खगड़िया थाना काण्ड संख्या-151/2017 जप्त विदेशी शराब कुल-30 (तीस लीटर) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।  
लेखापित एवं सशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including '19/07/2017' and '51/2013-18'.